

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

श्री नारायण लाल पिता नन्दा गुर्जर निवासी मायरा तहसील चित्तौड़गढ़
बनाम

श्रीमति मगनी बाई पत्नि गोपीलाल गुर्जर निवासी दल्ला का खेड़ा तहसील चित्तौड़गढ़ वगैरा

G.C.M.S. No. — 2017/00052 प्रकरण संख्या 06/2017 (नि.पं.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.02.2021	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। अधिवक्ता निगराकार ने आज भी विपक्षी संख्या 1 की तामील हेतु सही पते का नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किया। अधिवक्ता निगराकार द्वारा 2 वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी विपक्षी संख्या 1 की तामील हेतु सही पते का नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किया है। अधिवक्ता निगराकार को विपक्षी संख्या 1 की तामील हेतु पर्याप्त अवसर दिए जा चुके हैं तथा दिनांक 28.01.2020 को न्यायहित में अन्तिम अवसर भी दिया जा चुका है उसके बाद भी अधिवक्ता निगराकार द्वारा एक अवसर ओर चाहने पर उसे दिनांक 12.01.2021 को नोटिस प्रोसेस पेश करने हेतु एक अवसर और प्रदान किया गया, उसके बावजूद भी अधिवक्ता निगराकार द्वारा विपक्षी संख्या 1 की तामील हेतु सही पते का नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किया है। अतः प्रकरण आदेश 9 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	



(कं.के. शर्मा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़